छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश

क्रमांक 60 (App.) / II-14-1/2023 (DEO.)　　　　बिलासपुर, दिनांकः 30 जुलाई, 2024

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की स्थापना पर निम्नलिखित अभ्यर्थीः –

स.क्र.	नाम/ पिता का नाम	पता	वर्ग जिसके विरूद्ध नियुक्ति की गई
1.	Ku. Ayushi Dewangan, D/o Shri Sunil Kumar Dewangan	Krishna Nagar Ward, Ward No. 35, Juna Bilaspur, Bilaspur (Chhattisgarh)	UR-Female

को प्रतीक्षा सूची से **डाटा एन्ट्री ऑपरेटर** **(Data Entry Operator)** के पद पर पे मेट्रिक्स के **लेवल–6** **(25300-80500)** में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से **3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर** निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन नियुक्त किया जाता हैः–

(1) परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे एक वर्ष तक और बढ़ाई जा सकेगी और जब तक स्थायी न कर दिया जाये तब तक उन्हें परिवीक्षा अवधि पर माना जायेगा।

(2) परिवीक्षा काल में उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी ।

(3) अस्थायी सेवा काल में वे यदि स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो एक माह की पूर्व सूचना रजिस्ट्री को देनी होगी या यदि तुरन्त कार्य मुक्त होना चाहे तो एक माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जाना हो तो उन्हें नियोक्ता द्वारा एक माह की पूर्व सूचना दी जायेगी या ऐसी सूचना के बदले एक माह का वेतन नियमानुसार देकर तुरन्त सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।

(4) उन्हें दिनांक 09.08.2024 तक अनिवार्य रूप से अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि उनके द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से अपात्र किया जावेगा तथा चयनित सूची से उनका नाम पृथक कर दिया जावेगा।

(5) वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया स्वस्थता का प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करेंगें जिसका व्यय उन्हें स्वयं वहन करना होगा।

(6) सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक अथवा मानसिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रतिकूल होने की अवस्था में नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जा सकेगा।

(7) उन्हें अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा। पुलिस प्रमाणीकरण अथवा सत्यापन प्रतिकूल होने की अवस्था में नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।

(8) वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य विभाग को किसी पद के लिये सीधे आवेदन नहीं करेंगें।

(9) वे बिना पूर्व अनुमति के किसी विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययन नहीं करेंगे, और न ही स्वाध्यायी छात्र के रूप में किसी परीक्षा में सम्मिलित होगें, यदि वे अध्ययन करते हुए अथवा परीक्षा में सम्मिलित होते हुए पाये गये तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(10) उन्हें कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति अवश्य प्रस्तुत करना होगा। यह पाये जाने पर कि उन्होनें अपने आवेदन में और उसके साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में मिथ्या तथ्यों का समावेश किया है या कोई तथ्य छिपाया है अथवा वह विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अर्हता नहीं रखते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

(11) **यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके समस्त दस्तावेजों के जॉच के अध्याधीन है तथा यदि दस्तावेज पात्रतानुसार नहीं पाये जाने अथवा उचित/सही नहीं पाये जाने पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से वंचित किया जा सकेगा तथा उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।**

(12) **उनकी वरीयता आज तक इस उच्च न्यायालय की स्थापना पर नियुक्त डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के सबसे अंतिम स्थान पर होगी।**

(13) यह नियुक्ति आदेश चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित की जा रही है साथ ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के वेबसाईट पर भी अपलोड की जा रही है। चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाईट से डाउनलोड करके भी अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं।

(14) यह नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन **S.L.P. (C) No. 19668/2022** द्वारा पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

(15) यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवायें (नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा आचरण) नियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है अतः इस आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त उनकी सेवाएं उक्त नियम के प्रावधानों से शासित होंगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठां0 क्रमांक 12000 /   बिलासपुर, दिनांकः 30 जुलाई, 2024
II-14-1/2023 (DEO)

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निज सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
2. रजिस्ट्रार (विजि./आई. & ई./न्या./एस. & ए. सेल), छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
3. डायरेक्टर (सी.एस.जे.ए.), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
4. ओ.एस.डी.–सह–अतिरिक्त रजिस्ट्रार(न्याय.), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
5. एडिशनल रजिस्ट्रार (स्थापना व जिला स्था./प्रशासन), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
6. रजिस्ट्रार (कम्प्यूटराईजेशन)–कम–सी.पी.सी., छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर उक्त आदेश को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
7. बजट अधिकारी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
8. डिप्टी रजिस्ट्रार (कार्य/प्रोटो./स्था./स्थाप. भर्ती शाखा)/लेखाधिकारी, छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
9. अनुभाग अधिकारी (लेखा/वेतन निर्धारण), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
10. अस्सिटेंट (स्था.), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायायल, बिलासपुर,
11. **उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी,**

<u>की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।</u>

30/7/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल